vinetur

व्यापार समझौते में शुल्क कटौती के बावजूद भारत कुछ थोक स्कॉच आयात पर 162.5% का प्रभावी भार लगा रहा है

भारतीय सीमा शुल्क अधिकारी ब्लेंड के लिए आयातित थोक व्हिस्की के वर्गीकरण पर विवाद कर रहे हैं; कुछ खेपों को अनंतिम मंजूरी दी गई है

शुक्रवार, 20 नवंबर 2026



Reuters की एक पड़ताल के अनुसार, जिसे Business Today ने बुधवार, 18 नवंबर को प्रकाशित किया, भारत स्कॉटलैंड से आने वाली थोक स्कॉच व्हिस्की के कुछ आयातों पर कुल 162.5% का प्रभावी शुल्क-कर भार लगा रहा है। यह विवाद इस बात को लेकर है कि यूनाइटेड किंगडम के साथ व्यापार समझौते के तहत इन खेपों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।

यह आंकड़ा प्रभावित आयातों पर शुल्क और करों के कुल भार को दर्शाता है। रिपोर्टों के अनुसार, यह समझौते से पहले लागू 150% के स्तर से 12.5 प्रतिशत अंक अधिक है। इससे उन कंपनियों में चिंता बढ़ी है जो भारत में बने ब्लेंडेड उत्पादों

के लिए थोक में स्कॉच खरीदती हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि व्यापार समझौते से आयात लागत घटेगी।

रिपोर्ट में इस विवाद को सभी स्कॉच व्हिस्की या भारत में बिकने वाली सभी बोतलबंद व्हिस्की पर लागू सामान्य दर के रूप में नहीं बताया गया है। Reuters और Business Today के अनुसार, यह थोक आपूर्ति और ब्लेंड बनाने में इस्तेमाल होने वाले कंसंट्रेट पर केंद्रित है। भारतीय सीमा शुल्क अधिकारी इन उत्पादों के वर्गीकरण पर सवाल उठा रहे हैं। वर्गीकरण से तय होता है कि आयातक समझौते के तहत घोषित कम शुल्क का लाभ ले सकते हैं या नहीं।

व्यापार समझौते के तहत पात्र स्कॉच पर शुल्क घटाकर 75% कर दिया गया था। लेकिन यह घोषित शुल्क उस कुल भार के बराबर नहीं है जिसका मौजूदा विवाद में कुछ आयातकों को सामना करना पड़ रहा है। कारोबार से जुड़ी कंपनियों का कहना है कि सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा माल के वर्गीकरण के तरीके और लागू किए जा रहे करों के कारण प्रभावित खेपों पर प्रभावी भार बढ़कर 162.5% हो रहा है।

Reuters ने कहा कि उसकी रिपोर्टिंग आठ स्रोतों और एक सरकारी दस्तावेज़ पर आधारित थी। Business Today ने इन निष्कर्षों को प्रकाशित किया। रिपोर्टों में उद्धृत मूल प्रशासनिक दस्तावेज़ की उपलब्ध जानकारी के आधार पर स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी, और प्रभावित आयातों का कुल मौद्रिक मूल्य प्रकाशित नहीं किया गया। इस मुद्दे को कुल रुपये की राशि के बजाय आयात मूल्य पर लगने वाले प्रतिशत के रूप में पेश किया गया है।

यह असहमति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में थोक स्कॉच का इस्तेमाल करने वाले कई उत्पादक लागत के बहुत सीमित अनुमानों के साथ काम करते हैं। अधिक कर भार से कच्चे माल की आयात सहित लागत बढ़ सकती है, लाभ का मार्जिन घट सकता है और वित्तपोषण की जरूरत बढ़ सकती है। अगर कंपनियों को सीमा पर अधिक भुगतान करना पड़े या माल की समीक्षा पूरी होने तक बड़ी गारंटी देनी पड़े, तो आपूर्ति जारी रखने के लिए उन्हें अधिक कार्यशील पूंजी की जरूरत हो सकती है।

लगता है कि फिलहाल कुछ ऐसा ही हो रहा है। Reuters और Business Today के अनुसार, वर्गीकरण का मुद्दा विवादित होने के दौरान कुछ खेपों को केवल अनंतिम आधार पर मंजूरी दी गई है। माल छुड़ाने के लिए आयातकों को भुगतान करना और गारंटी देनी पड़ी है। इससे उत्पाद बाजार में आ पाता है, लेकिन उसके अंतिम कर-व्यवहार को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है।

रिपोर्टों के अनुसार, ब्रिटिश सरकार इन चर्चाओं में निर्यातकों के हितों का प्रतिनिधित्व कर रही है। इससे यह मामला तकनीकी सीमा शुल्क विवाद से आगे बढ़कर व्यापक व्यापारिक महत्व रखता है। ब्रिटिश निर्यातकों और स्कॉच उत्पादकों के लिए सवाल यह है कि समझौते के तहत दिए गए बाजार पहुंच के वादे को व्यवहार में पूरा किया जा रहा है या नहीं। भारतीय अधिकारियों के लिए मुद्दा यह है कि कम शुल्क का लाभ थोक में आयात किए जाने और फिर स्थानीय स्तर पर ब्लेंडेड व्हिस्की बनाने में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों पर किस हद तक लागू होना चाहिए।

पात्र स्कॉच के लिए तय 75% शुल्क और रिपोर्टों में बताए गए 162.5% के प्रभावी भार के बीच का अंतर दिखाता है कि सीमा शुल्क अधिकारियों का व्यवहार व्यापार रियायत के वास्तविक मूल्य को कैसे बदल सकता है। कागज़ पर शुल्क घटने से प्रवेश की अंतिम लागत हमेशा तय नहीं होती, खासकर तब जब उत्पाद के वर्गीकरण पर विवाद हो या अन्य कर इस तरह लगाए जाएं कि आयातकों के लिए नतीजा बदल जाए।

रिपोर्टें यह भी स्पष्ट करती हैं कि इस मामले को सभी स्कॉच व्हिस्की पर भारत की शुल्क कटौती को सीधे पलटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। विवाद का दायरा सीमित है और यह विशिष्ट थोक उत्पादों तथा कंसंट्रेट पर केंद्रित है। फिर भी, इसमें शामिल कंपनियों पर वित्तीय असर तुरंत पड़ सकता है, क्योंकि अनंतिम शर्तों पर मंजूर हर खेप के साथ अधिक अग्रिम लागत और मार्जिन तथा मूल्य निर्धारण को लेकर अधिक अनिश्चितता जुड़ सकती है।